(भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-I खंड-3 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
(रक्षा विभाग)
****

नई दिल्ली, 22 जून, 2017

संकल्प

संख्या 1(6)/2016/रक्षा(वेतन/सेवाएं) - भारत सरकार ने 5 सितम्बर 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचित संकल्प संख्या 1(6)/2016/रक्षा(वेतन/सेवाएं) के तहत सशस्त्र सेनाओं के अफसरों के लिए सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया ।

और जबकि, सरकार ने कर्मचारियों की उक्त श्रेणियों के संबंध में उक्त सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों में निम्नलिखित परिवर्तन करना आवश्यक माना है, अर्थात :-

(1) रक्षा वेतन मैट्रिक्स के युक्तिकरण सूचकांक (आईओआर) के लेवल 12क तथा 13 को 2.57 से बढ़ाकर 2.67 कर दिया जाएगा । रक्षा वेतन मैट्रिक्स {सैन्य परिचर्या सेवा (एमएनएस) को छोड़कर} को सिविल वेतन मैट्रिक्स के समान 40 चरणों तक बढ़ाया जाएगा । तदनुसार, रक्षा वेतन मैट्रिक्स (एमएनएस को छोड़कर) में संशोधन कर दिया जाएगा । संशोधित रक्षा वेतन मैट्रिक्स **परिशिष्ट-1** पर संलग्न है ।

(2) एमएनएस के वेतन मैट्रिक्स के लेवल 10ख तथा लेवल-12 में आने वाली तथ्यात्मक त्रुटियों में सुधार के लिए और रक्षा वेतन मैट्रिक्स में आईओआर में परिवर्तनों के मद्देनजर एमएनएस के वेतन मैट्रिक्स के तदनुरूपी लेवलों के पहले चरण में भी परिवर्तन किया जाएगा । तदनुसार, वेतन मैट्रिक्स (एमएनएस) में संशोधन कर दिया जाएगा । संशोधित एमएनएस वेतन मैट्रिक्स **परिशिष्ट-2** पर संलग्न है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया जाए ।

म. सुब्बारायन

(एम. सुब्बारायन)
संयुक्त संचिव, भारत सरकार